प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 82/2024)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रसारण सेवाओं के प्रावधान हेतु सेवा प्राधिकारों की रूपरेखा" विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया ।

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2024 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **"दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रसारण सेवाओं के प्रावधान हेतु सेवा प्राधिकारों की रूपरेखा"** विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

2. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने दिनांक 25 जुलाई, 2024 को अपने पत्र के माध्यम से भादूविप्रा को एक संदर्भ भेजा जिसमें यह सूचित किया गया कि दूरसंचार अधिनियम, 2023 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(क), जिसे अभी अधिसूचित किया जाना है, जिसमें दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक किसी भी इकाई/व्यक्ति द्वारा प्राधिकार प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है, जो निर्धारित शुल्क या प्रभारों सहित ऐसे निबंधन और शर्तों के अध्यधीन होगा।

3. प्रसारण सेवाओं के संबंध में, संदर्भ में यह अवगत कराया है कि कई प्रसारण प्लेटफॉर्म (जो सेवाएं प्रदान करने के लिए रेडियो तरंगों और स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हैं) जैसे डीटीएच, एचआईटीएस, आईपीटीवी, टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग (टेलीपोर्ट सहित), एसएनजी, डीएसएनजी, सामुदायिक रेडियो, एफएम रेडियो आदि को भारतीय तार(टेलेग्राफ) अधिनियम, 1885 की धारा 4 के अंतर्गत एमआईबी द्वारा अनुज्ञप्ति/अनुमति/पंजीकरण जारी किया जाता है, जिसे दूरसंचार अधिनियम, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

4. मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा जारी विभिन्न अनुज्ञप्तियों/अनुमतियों/पंजीकरणों के नीतिगत दिशानिर्देशों और दूरसंचार अधिनियम, 2023 की संबंधित धाराओं का विवरण प्रदान करते हुए एक पृष्ठभूमि नोट भी साझा किया, जो प्राधिकरण के निबंधन और शर्तों पर असर डाल सकता है।

5. एमआईबी ने भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत, दिनांक 25.07.2024 के उक्त पत्र के माध्यम से प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकार हेतु शुल्क या प्रभारों सहित निबंधन और शर्तों पर अपनी अनुशंसाएं प्रदान करने के लिए भादूविप्रा से अनुरोध किया, जिसका उद्देश्य इसे दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अनुरूप बनाना तथा विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच निबंधन और शर्तों में सामंजस्य स्थापित करना

है, ताकि प्रसारण सेवाओं के प्राधिकार हेतु निबंधन और शर्तों को दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत नियमों के रूप में अधिसूचित किया जा सके।

6. तदनुसार, हितधारकों से टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रसारण सेवाओं के प्रावधान हेतु सेवा प्राधिकारों के लिए रूपरेखा विषय पर एक परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर रखा गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से क्रमशः 20 नवंबर 2024 तक लिखित टिप्पणियां और 27 नवंबर 2024 तक प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।

7. टिप्पणियाँ/प्रति-टिप्पणियाँ, अधिमानतः ईमेल द्वारा advbcs-2@trai.gov.in और jtadvisor-bcs@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री दीपक शर्मा, सलाहकार (प्रसारण एवं केबल सेवाएँ), भादूविप्रा से टेलीफोन नं. +91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी 30/10/24

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा

******